

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/ १३/४ /2024

दिनांक : -०६.०७.२०२४

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.२६(५५) न्याय/२०१५ भाग-IV, दिनांक १२.०३.२०२४ एवं पूर्व आदेश क्रमांक प.११.(३) न्याय/२००२, दिनांक ०८.०८.२००५ के क्रम में राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को अवकाश यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने पर सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम ६० दिवस (०६ अवसर) एक ब्लॉक वर्ष में १० दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है, जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है :-

| क्र. सं. | नाम अधिकारी एवं पदनाम | LTC हेतु समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या | ब्लॉक वर्ष (अवसर) | समर्पित अवकाश की अवधि |
|----------|--|---|-------------------|--------------------------------|
| ०१. | श्री अतुल कुमार सक्सेना (RJ0118), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर। | १० | २०१९-२०२३ (प्रथम) | २२.०३.२०२३ से २७.०३.२०२३ |

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(४)/१४/१९९३/ ५५९५

दिनांक : ०६.०७.२०२४

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- श्री अतुल कुमार सक्सेना (RJ0118), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

३०/७/२४
न्या.०७.२४